## कार्यालग्न अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.comPhone/Fax-2767611

पत्रांकः— ८५८९ / FP/UK/ MIN/154581/2021 दिनॉकः देहरादून १८ दिसम्बर, 2022 सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली— पिन— 110003।

विषय:—जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के स्वीकृति (FC) पुर्नप्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपित्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-61/1999-FC(P&VII) दिनांक 05.12.2022। महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई०डी०एस० दिनांक 13.05.2022 के अनुपालन में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 1107/12—1 दिनांक 30.12.2022/प्रभागीय वनाधिकारी (प्रति संलग्न) के द्वारा प्रेषित वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :—

आपत्तियाँ	उत्तरालेख
i. The State/UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed that the mining plan is under process for approval for 5 more years. In this regard the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided.  ii. As per the DSS report some of the CA sites are partially falling within proposed area for mining. These CA sites are Sharda Tapu 35 & 38 (25 ha), Sharda Tapu 37 (63 ha), Sharda Tapu 42 (16 ha) and Sharda Tapu 42 (20 ha). This need clarification.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवेश पोर्टल में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सूचना अपलोड की गयी है।  वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण के संबंध में दिनांक—13.12.2022 को वन क्षेत्राधिकारी शारदा रेंज टनकपुर तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उ० व० वि० निगम टनकपुर के साथ मय स्टाफ सहित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण
: 전 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	किया गया जिसकी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
iii.KML file of the safety zone has not been provided by the State. However, State Govt has provided a map of safety zone area. The KML file has been created with the help of Geo coordinates provided along with the map. Thereafter overlapping the safety zone (SZ) KML file on the proposed mining area of sharda river it is observed that approx. 95 ha area proposed for mining is overlapping with the safety zone. Correct KML file and map of safety zone shall therefore be submitted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार नवीन के०एम०एल० फाइल अपलोड की जा चुकी है।
iv.Cost Benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28.03.2019.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार लागत लाभ वि लेषण, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः
	तैयार कर प्रेषित किया जा चुंका है।

v. The State Govt has provided the survival percentage of Various CA plantations which varies from 70-100%. However, in the site inspection carried out by the IRO in June 2022 (SIR enclosed), it was mentioned that some areas like Sharda Tapu no. 36 (area 15.0 out of 20.0 ha) and Sharda Tapu no. 34 & 35 (area 13.0 ha out of 20 ha) have been washed out by flood. This discrepancy needs justification.

वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण के संबंध में दिनांक—14.12.2022 को वन क्षेत्राधिकारी शारदा रेंज टनकपुर, वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी शारदा टापू अनुभाग एवं वन बीट अधिकारी शारदा टापू द्वितीय के साथ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलन्न है।

अतः वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या ८५८८ / FP/UK/MIN/154581/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूँचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:— । 1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 1107 / 12-1 दिनांक 30.12.2022 के कम में।

2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

3. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर।

(एस०एस० रसाईली) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,